TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 23rd FEBRUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 23rd February, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 180(E) dated the 10th March, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 11, "Kanoli-vision Saver" Eye Camps-A rural outreach programme on eye care at Villages around Chennai, Chengai, MGR District, Tamilnadu, by Sri Sankara Health Centre, Hospital Complex, Sri Sankara Nagar, Pammal, Chennai-600075, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-98.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of "Kanoli-vision Saver" Eye Camps-A rural outreach programme on eye care at Villages around Chennai, Chengai, MGR District, Tamilnadu, which is being carried out by Sri Sankara Health Centre, Hospital Complex, Sri Sankara Nagar, Pammal, Chennai-600075, at the estimated cost of rupees forty-five lakhs only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2000-2001.

(VIJAY MATHUR)
Secretary (NC)

No. 11247

F.No. NC-159/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II ,खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 23 फरवरी 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली दिनांक 23 फरवरी 2000

अधिसूचना

सां0 आ0 (अ0) आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के तहत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री संकारा हैल्थ सेन्टर, हास्पिटल काम्पलेक्स, श्री संकारा नगर पामाल, चैन्नई-600075 द्वारा चैन्नई , चेंगई के आस पास के ग्रामों, एम0 जी0 आर0 जिला , तमिलनाडू में आँखों की देखभाल के लिए ग्रामीण इलाकों में पँहुचने का कार्यक्रम ' कानोली विजन सेवर " आँखों के कैम्प का कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष से अधिक बढाए जाने की सम्भावना है :

और, जबकि राष्ट्रीय समिति को यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली के नियम 11ढ के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिदिष्ट करने की सिफारिश की है ।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संकारा हैल्थ सेन्टर ,होस्पिटल काम्पलेक्स श्री संकारा नगर पामाल चैन्नई 600075 द्वारा चैन्नई , चेंगई के आस पास के ग्राम एम0 जी0 आर0 जिला, तमिलनाडू में आँखों की देखभाल के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुँचने का चलाया जा रहा कार्यक्रम कानौली-विजन सेवर आँखों के केम्प की स्कीम और परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षो की आगे की अवधि के लिए मात्र 45 लाख रूपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

विजय माथुर
(विजय माथुर)
सचिव (रा0स0)

सं0 11247
फा0 सं0 एन0सं0- 159/99